

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता )

1. जिला. चौकी ए.सी.बी., भीलवाडा-द्वितीय, थाना. सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष-2022  
प्र. ई. रि. स. .... 50/22 ..... दिनांक ..... 16/2/22 .....  
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :- 7 पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित)  
(ब) अधिनियम..... धारायें .....  
(स) अधिनियम ..... धारायें.....  
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 346 ..... समय ..... 6:30 P.M. ....  
(ब) अपराध घटने का दिन-दिनांक :- मंगलवार दिनांक 12.10.2021 समय 06.50 पी.एम.  
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.10.2021 समय. 11:00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी - पश्चिम बफासला करीब 66 कि.मी.  
(ब) पता - देवरिया, पुलिस थाना रायपुर, जिला-भीलवाडा  
बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम - श्री शम्भुलाल दमामी  
(ब) पिता का नाम.... श्री प्यारचन्द दमामी  
(स) जन्म तिथि /वर्ष :- 41 वर्ष  
(द) राष्ट्रियता..... भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय:- व्यापार  
(ल) पता- निवासी देवरिया, पुलिस थाना रायपुर, जिला भीलवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
श्री रामकिशोर प्रजापत पुत्र श्री हरबा राम प्रजापत उम्र 31 साल, निवासी 148, मेघवालो का  
वास, लाई, मेडता, जिला नागौर हाल सहायक-द्वितीय फीडर अ.वि.वि.नि.लि. देवरिया,  
तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं ...  
चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हों अतिरिक्त पन्ना  
लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या  
( अगर हो तो )

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा  
कृषि उपज मंडी

विषय:- कानूनी कार्यवाही करने बाबत।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं शम्भुलाल पिता प्यारचन्द दमामी निवासी देवरिया थाना रायपुर जिला भीलवाडा का निवासी हूँ। मेरी माता श्रीमति सन्तोष देवी गांव में रावले के पास रहती है। उसके साथ मेरा छोटा भाई संजय रहता है। मैं पीछे ही अलग अन्य मकान में रहता हूँ। मेरी मां के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन के नंबर 110216025627 है। जिस पर 500 रुपये से एक हजार रुपये तक का दो माह का बिजली का बिल आता है। पहले के मीटर रिडिंग लिखने वाले की गलती व तकनिकी खराबी से मेरे बिल की रिडिंग में काफी अन्तर आ रहा था। जिसकी बिल राशि करीब 24,000 हजार रुपये बनना वर्तमान बिल रिडर (लाईनमेन) राम किशोर प्रजापत ने कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो तो मैं आपकी खराब मीटर की रिपोर्ट बनाकर दे दूंगा। मेरी खराब मीटर की रिपोर्ट को तुम रायपुर ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय में ले जाकर दे देना और 900 रु रसीद कटवा देना। अभी दो-तीन छुट्टीया है। मैं आपको खराब मीटर की रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 12.10.21 को दे दूंगा जो आप रायपुर जाकर रसीद कटवा कर मेरे से मिल लेना। मैं राम किशोर बिल रिडर (लाईनमेन) को रिश्त के 10,000 रुपये नहीं देना चाहता हूँ, ओर उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी राम किशोर जी से कोई रंजिश नहीं है, और ना ही कोई रूपयो का लेन-देन बकाया है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैंने मेरी मां व छोटे भाई संजय को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है।

रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करें।

दिनांक :- 08.10.2021

प्रार्थी

एसडी शम्भुलाल  
शम्भुलाल पिता प्यारचन्द दमामी निवासी  
देवरिया थाना रायपुर जिला भीलवाडा  
मो.न. 99234-33603

एस डी मधुसूदन माथुर 14/10/21

एसडी प्रीतम कुमार 14/10/21

### कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा द्वितीय

दिनांक 08.10.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री शम्भुलाल पुत्र श्री प्यारचन्द दमामी उम्र 41 साल निवासी देवरिया पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश के समक्ष प्रस्तुत की। परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी माता श्रीमति सन्तोष देवी गांव में रावले के पास रहती है। उसके साथ मेरा छोटा भाई संजय रहता है। मैं पीछे ही अलग अन्य मकान में रहता हूँ। मेरी मां के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन के नंबर 110216025627 है। जिस पर 500 रुपये से एक हजार रुपये तक का दो माह का बिजली का बिल आता है। पहले के मीटर रिडिंग लिखने वाले की गलती व तकनिकी खराबी से मेरे बिल की रिडिंग में काफी अन्तर आ रहा था। जिसकी बिल राशि करीब 24,000 हजार रुपये बनना वर्तमान बिल रिडर (लाईनमेन) राम किशोर प्रजापत ने कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो तो मैं आपकी खराब मीटर की रिपोर्ट बनाकर दे दूंगा। मेरी खराब मीटर की रिपोर्ट को तुम रायपुर ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय में ले जाकर दे देना और 900 रु रसीद कटवा देना। अभी दो-तीन छुट्टीया है। मैं आपको खराब